

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1302/HFW/QC/2023/ 2943

दिनांक:- 15/12/2023

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110054

विषय : सातवीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र-2023), माननीय विधायक
श्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 137 दिनांक 18.12.2023
के संदर्भ में।

महोदय / महोदया,

यह पत्र आपके पत्र सं० एफ.11(बी-1)VII/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./6316 दिनांक
07.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा
पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 137 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में (100 प्रतियाँ) आपको अग्रिम
कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा० मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से
प्रेषित किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (100 प्रतियाँ)

भवदीय



उप-सचिव (प्र०शा०)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Deputy Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1302/HFW/QC/2023/ 2944

दिनांक:- 15/12/2023

सेवा में,

श्रीमान निदेशक
सूचना एवं प्रचार निदेशालय
पुराना सचिवालय, ब्लॉक-9 दिल्ली-110054

विषय : सातवी विधानसभा का चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र-2023), माननीय विधायक
श्री राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 137 दिनांक 18.12.2023
के संदर्भ में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री राजेन्द्र पाल
गौतम द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 137 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में आपको अग्रिम
कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा० मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से
प्रेषित किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय



उप-सचिव (प्र०शा०)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Deputy Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 137

दिनांक : 18.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम : मा0 विधायक श्री राजेन्द्र पाल गौतम

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों सहित विभिन्न विभागों के तहत काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड, एमटीएस जिनमें एनओ, सफाई कर्मचारी सहित आदि की पीएफ और ईएसआई ज्यादातर वर्कस का फंड जमा नहीं कराते;	सत्य नहीं है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड, एमटीएस जिनमें एनओ, सफाई कर्मचारी सहित आदि की पीएफ और ईएसआई फंड नियमानुसार समय पर जमा कराया जाता है।
ख	क्या उनके पीएफ, ईएसआई का रेगुलर रिकार्ड लेकर लेबर विभाग वेरिफिकेशन करते हैं;	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रम विभाग दिल्ली सरकार द्वारा ये दोनों कानून लागू नहीं किये जाते। पीएफ और ईएसआई केन्द्र सरकार की संस्थाएं हैं और इससे संबंधित कानूनों का अनुपालन भी ईपीएफ और ईएसआई संस्थाएं करती है
ग	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएफ और ईएसआई केन्द्र सरकार की संस्थाएं हैं, इसलिए श्रम विभाग, दिल्ली सरकार वेरिफिकेशन नहीं करता।
घ	क्या विभाग की इन रेगुलर वेरिफिकेशन करने या करवाने की कोई योजना है, और	जी, सभी एमएस/एमडी को इस संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।
ड	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	लागू नहीं होता।

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर



विभाग अध्यक्ष
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dr. S.B. Deepak Kumar
Secretary (H&FW)